राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि / टैक्स / एचक्यू / 95 / 6 एम जयपुर, दिनांकः 31.03.2006

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं.11) की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय–समय पर यथासंशोधित)अधिसूचना सं.एफ.6(179) / परि / टैक्स / एच.क्यू. / 2004 / 6एल दिनांक 14.9.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ सं.1 में विनिर्दिष्ट, किसी फ्लीट स्वामी के स्वामित्वाधीन से भिन्न राज्य की मंजिली गाड़ियों पर विशेष सड़क कर की दर इसके द्वारा इसके स्तंभ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है:–

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1	2
मंजिली गाडियां (अनन्य रुप से नगरपालिक या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र / उप–नगरीय मार्गों / ग्रामीण मार्गों के भीतर चलने वाली गाड़ियों से भिन्न)	
(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 तक की सीट क्षमता वाली	
(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 150 कि.मी. तक हो, यदि	
(i) चैसिस के रूप में क्रय की जाये	चैसिस की लागत का 0.450%
(ii) यान के रूप में क्रय की जाये	यान की लागत का 0.315%
(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 150 कि.मी. से अधिक हो, यदि	
(i) चैसिस के रूप में क्रय की जाये	ऊपर उप–खण्ड (i)(क) के सामने स्तंभ 2 में यथा–विनिर्दिष्ट दरों के अतिरिक्त,

		अतिरिक्त 25 कि.मी. या उसके भाग के लिए चैसिस की लागत का 0.130%
	(ii) यान के रूप में क्रय की जाये	ऊपर उप–खण्ड (i)(क) के सामने स्तंभ 2 में यथा–विनिर्दिष्ट दरों के अतिरिक्त, अतिरिक्त 25 कि.मी. या उसके भाग के लिए यान की लागत का 0.091%
(ii)	**ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 से अधिक सीट क्षमता वाली**	
(क)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 150 कि.मी. तक हो, यदि	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की जाये	चैसिस की लागत का 0.550%
	(ii) यान के रूप में क्रय की जाये	यान की लागत का 0.385%
(ख)	सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 150 कि.मी. से अधिक हो, यदि	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय की जाये	ऊपर उप–खण्ड (ii)(क) के सामने स्तंभ 2 में यथा–विनिर्दिष्ट दरों के अतिरिक्त, अतिरिक्त 25 कि.मी. या उसके भाग के लिए चैसिस की लागत का 0.180%
	(ii) यान के रूप में क्रय की जाये	ऊपर उप–खण्ड (ii)(क) के सामने स्तंभ 2 में यथा–विनिर्दिष्ट दरों के अतिरिक्त, अतिरिक्त 25 कि.मी. या उसके भाग के लिए यान की लागत का 0.126%

परन्तुः—

(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को सम्मिलित करते हुए 30 तक की सीट क्षमता वाले ऐसे यानों के मामले में, जो दो नगरपालिकाओं के बीच पड़ने वाले मार्गों पर एक दिन में 40 कि.मी. तक चलते हों और मार्ग की लम्बाई 10 कि.मी. से अधिक नहीं हो, उपर्युक्त स्तम्भ सं. 2 में विनिर्दिष्ट दरों पर संदेय विशेष सड़क कर 700/—रु. से अधिक नहीं होगा;

(ii) ऊपर यथा—उल्लिखित कोई भी ऐसी मंजिली गाड़ी यदि मोटर यान अधिनियम, 1988 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे अनुज्ञात ट्रिप/ट्रिपों से भिन्न किसी भी ट्रिप पर चलती हुई पायी जाये तो ऐसी मंजिली गाड़ी उस प्रवर्ग, जिसके लिए उसे चलने के लिए अनुज्ञात किया गया है, के सामने विनिर्दिष्ट दर से सम्पूर्ण मास के लिए अतिरिक्त विशेष सड़क कर संदत्त करने की दायी होगी;

(iii) नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रूप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा;

(iv) किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति जो इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व की किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी, जो समय—समय पर ऐसे यानों पर लागू थी।

स्पष्टीकरण :— कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन स्पष्ट की गयी है।

यह अधिसूचना 1.4.2006 से प्रवृत्त होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवंत सिंह भाटी)
शासन उप सचिव

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/6 एम जयपुर, दिनांकः 31.03.2006

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.03.2006 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव